न्यायालय परगनाधिकारी, बिजनौर।

वाद संख्या–09 / 2009
मौजा शहबाजपुर खाना
कृष्णा चैरिटेबिल सोसाईटी
द्वारा मनोज कुमार प्रबन्धक
कृष्णा कालेज बिजनौर।

बनाम

धारा–143जेड0ए0एण्डएल0आर0एक्ट
परगना बिजनौर।
सरकार

नकल निर्णय, दिनांक 2-5-09

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही कृष्णा चैरिटेबिल सोसाईटी द्वारा मनोज कुमार प्रबन्धक, कृष्णा कालेज, बिजनौर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट पर प्राप्त तहसीलदार की आख्या दिनांक 11.03.08 एवं 29.04.2009 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत उल्लेख किया है कि वादी कृष्णा चैरिटेबिल ट्रस्ट सोसाईटी गाजियाबाद भूमि खसरा न0 42 रकबई 0.759, खसरा न0 28मि0 रकबई 0.561 है0, खसरा न0 37 रकबई 0.799 एवं खसरा न0 39 रकबई 0.253 की स्वामी काबिज व दखिल है। उक्त नम्बरों को आबादी क्षेत्र घोषित कराने हेतु प्रार्थना की है।

उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 11.03.08 की तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत आख्या में भी ख0न0 28मि0 रकबा 0.393, ख0न0 37मि0 रकबा 0.799 कुल 2 खेत रकबा 1.192है0 भूमिपर आबादी बने होने तथा 42मि0 रकबा 0.799 तथा 39मि0 रकबा 0.253 कुल 2 खेत रकबा 1.012है0 के खली होने का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गयी है। उक्त आख्या पुरानी होने के कारण तहसीलदार को पुनः स्थलीय निरीक्षण उपरान्त आख्या हेतु निर्देशित किया गया, जिसके कम में तहसीलदार बिजनौर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 29.04.2009 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम शहबाजपुर खाना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 28मि0 रकबई 0.393, ख0न0 37मि0 रकबई 0.799 पर कृष्णा कालेज बिजनौर का भवन बना है। खसरा नम्बर 39मि0 रकबा 0.253है0 व 42 मि0 रकबा 0.759है0 पर रबी 1416 फसली से चार दीवारी कर अन्दर कमरो का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। अतः वर्तमान में ख0नम्बर 28मि0 रकबा 0.393है0, ख0न0 37मि0 रकबा 0.799है0, ख0न0 39मि0 रकबा 0.253है0 व ख0न0 42मि0 रकबा 0.759मि0 अकृषिक है। इस प्रकार धारा 143 ज0वि0अधिनियम के अन्तर्गत उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। उपरोक्त की पुष्टि में आवेदक द्वारा शपथ–पत्र में ब्यान भी प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार की आख्या दिनांक 11.03.08 एवं 29.04.2009 तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभिलेखों का अनुशीलन किया गया। तहसीलदार की आख्या से स्पष्ट है कि उपरोक्त खसरा न0 28मि0 रकबई 0.393, ख0न0 37मि0 रकबई 0.799, खसरा नम्बर 39मि0 रकबा 0.253है0 व 42 मि0 रकबा 0.759है0 कुल चार खेत कुल रकबा 2.204 है0 लगान 96.65 पैसे पर कृषि कार्य, पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः तहसीलदार की आख्या दिनांक 29.04.2009 के आधार पर प्रश्नगत उक्त आराजी कृषि कार्य, पशु पालन, कुकुट पालन, मत्स्य पालन तथा उद्यानकरण आदि से भिन्न प्रयोजन हेतु उद्घोषित किये जाने में विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

अतः तहसीलदार की आख्या दिनांक 11.03.08 एवं 29.04.2009 के आधार पर प्रश्नगत आराजी स्थित मौजा शहबाजपुर खाना परगना, तहसील व जिला बिजनौर के खाता संख्या 14 खसरा नम्बर 28मि0 रकबई 0.393, खाता संख्या 15 के ख0न0 37मि0 रकबई 0.799, खाता संख्या 40 के खसरा नम्बर 39मि0 रकबा 0.253है0 तथा खाता संख्या 38 के खसरा नम्बर 42 मि0 रकबा 0.759है0 कुल 4 खेत कुल रकबा 2.204है0, लगान 96.65 पैसे को कृषि कार्य, पशु पालन, कुकुट पालन, मत्स्य पालन तथा उद्यानकरण आदि से भिन्न प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बिजनौर एवं उप निबन्धक बिजनौर को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जाये।

(एस0बी0सिंह) 2/5/09
परगनाधिकारी, बिजनौर।

दिनांक– 2·5· 2009

आज यह आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एस0बी0सिंह) 2/5/09
परगनाधिकारी, बिजनौर।